उत्तरांचल शासन

कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग

अधिसूचना

08 नवम्बर, 2002 ई०

सं० 1402/कृषि/3(5)/2002—चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन [illegible] उत्तरांचल राज्य के सम्बन्ध में लागू विधि का, आदेश द्वारा निरसन के रूप में या संशोधन के रूप में [illegible] अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है, जो आवश्यक व समीचीन हो,

अतः चूंकि उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अधीन उत्तरांचल में यथावत लागू है,

अतः अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन [illegible] का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल सहर्ष निदेश देते हैं कि उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली [illegible] उत्तरांचल [illegible] में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्यधीन लागू रहेगा —

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश, अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993) अनुकूलन
एवं उपान्तरण आदेश, 2002

[illegible] संक्षिप्त [illegible] प्रारम्भ

[illegible] उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993) अनुकूलन एवं उपान्तरण [illegible] जायेगा।

[illegible] प्रभाव से लागू होगा।

2. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली, 1993 में जहां-जहां शब्द [illegible] उत्तर प्रदेश [illegible] शब्द "उत्तरांचल" पढ़ा जायेगा।

[illegible] के उपरान्त उत्तरांचल के संशोधन

[illegible] 2000 के उपरान्त उत्तरांचल शासन द्वारा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली [illegible] संशोधन वैध होगा।

[illegible]

(बी०पी० [illegible])

[illegible]

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India [illegible] is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1402/Agri/3(5)/2002, [illegible] November 08, 2002 for general information.

NOTIFICATION

November 08, 2002

No. 1402/Agri/3(5)/2002—Whereas under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 the [illegible] of Uttaranchal may by order, make such adaptation and modification of [illegible] may be necessary or expedient.

[illegible] the U.P. Subordinate Service Rule, 1993 [illegible] Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000

[illegible] in exercise of the powers conferred under section 87 of the Uttar Pradesh Reorganisation [illegible] 2000 (Act no. 29 of 2000) the Governor is pleased to direct the U.P. Subordinate Service Rules, 1993 [illegible] State of Uttaranchal subject to the provisions of the following order.